न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 2/18ए/16

बउनवान

1. पूरन पुत्र परभाती जाति जाट
2. प्रहलाद पुत्र नत्थी पोत्र धर्मसिंह जाति जाट
3. निरंजन पुत्र धर्मसिंह जाति जाट
4. रामदयाल पुत्र धर्मसिंह जाति जाट
5. अशोक पुत्र अमरसिंह जाति जाट
6. विज्जो पुत्र अमरसिंह जाति जाट
7. बच्चू पुत्र अमरसिंह जाति जाट
8. पुष्पेन्द्र पुत्र भौती पोत्र जगन्नाथ जाति जाट
9. सुरेश पुत्र छिद्दा पोत्र परभाती जाति जाट
10. सुभाष पुत्र छिद्दा पोत्र परभाती जाति जाट

    निवासीयान ग्राम वहरामदा
11. लक्ष्मी पुत्री शेरसिंह पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी

    अड्डा काटव तहसील मथुरा यू पी

—— सायलान

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्ट्रर अलवर
2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील कठूमर

गैरसायलान

दर0 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :

श्री भगवानदास शर्मा ':– अधिवक्ता सायलान

गैरसायलान की ओर से पैरोकार सरकार उप0

आदेश

दिनांक 31.05.2018

प्रार्थीयान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बरा 52 रकवा 2.71 हे. ग्राम धीवडी तहसील कठूमर में स्थित है। धीवडी जागीर का है जिसमें वन्दोबस्त संवत् 2014 में हुआ था। जिससे पूर्व आराजी जागीरदारों की खातेदारी में दर्ज थी तथा संवत् 2012 में जागीरदारी व विश्वेदार उन्मूलन अधिनियम तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के कारण जिस भूमि पर जो व्यक्ति काविज था उसे सरकार द्वारा पट्टेदारी कर दिये गये परन्तु धीवडी जागीर का गांव होने के कारण जागीरदारों द्वारा समस्त राजस्व रेकार्ड जमा नहीं कराने के कारण सायलान के वुजुर्गान जो आराजी मुतनाजा पर काविज है तथा खुद काश्त थे सायलान के वुजुर्गान खुद काश्त दर्ज हो गई। उक्त आराजी कभी भी बंजड भूमि नहीं रही। तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में विवादित आराजी सायलान के वुजुर्गान की खुद काश्त दर्ज है। इस खसरा नम्बर वावत न्यायालय उप जिला कलक्ट्रर राजगढ में शेरसिंह बनाम राज्य सरकार नाम से दावा दिनांक 15.12.1970 को निर्णीत हुआ है। जो खारिज किया गया। जिस निर्णय की अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में पेश की गयी जा अपील भी दिनांक 04.07.1974 को खारिज हो गई। जिस निर्णय की द्वितिय अपील माननीय राजस्व मण्डल में पेश की जिसमें दिनांक 13.09.1977 को विवादित आराजी सायलान की वुजुर्गानी मानकर निर्णय किया है जिसमें गैरसायलान को सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करने हेतु पाबन्द किया गया। जिस निर्णय के वावजूद भी राजस्व कागजात माल में विवादित भूमि पर हो रहे चारागाह के इन्द्राज को कलमजन कर सायलान को खातेदार काश्तकार दर्ज नहीं किया। विवादित आराजी पर हो रहे

चारागाह के इन्द्राज की आड में गैरसायलान सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है व वेदखल करने की धमकी देते है। जवकि उकत आराजी पर सायलान काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। इस वजह से विवादित आराजी पर सायलान को बाई बर्थ ऑफ लॉ ,खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। गैरसायलान विवादित आराजी वावत गलत रूप से दर्ज चारागाह के इन्द्राज के आधार पर धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही करते है तथा पैनल्टी वसूलते है। गैरसायलान अव विवादित आराजी पर सायलान को वेदखल करने उक्त आराजी पर जवरन कब्जा करने की धमकी दे रहे है। अतः सायलान ने आराजी खसरा नम्बर 53 रकवा 6 वीघा वाके ग्राम धीवडी में सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करने वेदखल न करने तथा किसी तरह की शास्ति (पैनल्टी वसूल नहीं करने) हेतु ता फैसला दावा पाबन्द करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया। गैरसायलान की ओर से पैरोकार सरकार हाजिर हुये जिन्होंने अपना जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में चारागाह भूमि दर्ज है। उक्त चारागाह भूमि सायलान की वुजुर्गानी नहीं है। सायलान के वुजुर्गान का विवादित आराजी वावत कभी खातेदारी के इन्द्राज दर्ज नहीं रहे। माननीय न्यायालयों के निर्णयों को 40 साल हो चुके है। माननीय न्यायालय द्वारा सायलान को खातेदारी अधिकार नहीं दिये है। सायलान ने मुकदमा का उनवान बदलकर पुनः दावा पेश किया है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायलान रेसजुडिकेटा की तारीफ में आता है। सायलान ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखाा है जिन्हें नियमानुसार वेदखल किये जाने की कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में निर्णय रेवन्यु बोर्ड अजमेर दिनांक 13.09.1977, आदेश दिनांक 04.07.1974 राजस्व अपील प्राधिकारी

अलवर, निर्णय दिनांक 15.12.1970 न्यायालय उप जिला कलक्ट्रर अलवर नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 वाके ग्राम धीवडी की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता सायलान ने अपनी वहस में अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर वुजुर्गान के समय से लगातार कब्जा चला आ रहा है हाल राजस्व रेकार्ड में विवादित आराजी वावत चारागाह के इन्द्राज गलत दर्ज है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से सायलान के पक्ष में निर्णय हुआ है जिसमें गेरसायलान को पाबन्द किया गया हैं। गैरसायलान सायलान को वेदखल करने व जवरन कब्जा करने की कोशिश में है इस वजह से सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबन्द किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी वहस के दौरान कथन किया कि विवादित आराजी सरकारी सिवायचक है। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय हुये 40 साल हो चुके है। मुकदमा का उनवान बदलकर पुनः दावा पेश किया है। सायलान दावा को नये सिरे से लाये है क्योंकि इजराय का समय निकल चुका है। प्रकरण रेसजुडिकेटा की तारीफ में आता है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाावे।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेंकार्ड का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता सायलान व पैरोकार सरकार की वहस पर मनन किया। सायलान को अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये निम्न विन्दुंओं को अपने पक्ष में सावित कराना है :–

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना पूर्ति होने वाली क्षति

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 52 जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 में सरकारी सिवायक चक दर्ज है। लेकिन विवादित आराजी वावत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से दिनांक 13.09.1977 निर्णय हुआ है जिसमें गैरसायलान को पाबन्द किया गया है। सायलान ने दावा घोषणात्मक वो हुक्मइन्तनाई दवामी का पेश किया है। विवादित आराजी वावत सायलान के खातेदारी अधिकार मूल वाद में साक्ष्य सवूत आने पर तय किये जावेगें। विद्वान अधिवक्ता सायलान विद्वान पेरोकार सरकार की वहस पर मनन करने व पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड न्यायालयों के निर्णयों व माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के अध्ययन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायलान के पक्ष में प्रवल है। यदि गैरसायलाान ने सायलान को विवादित आराजी से वेदखल कर दिया तो अपार हानि व क्षति सायलान को होना संभव है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान होता हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को दावा के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 52 रकवा 1.71 हे. वाके ग्राम धीवडी तहसील कठूमर में सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करें तथा रेकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखें। राजस्व रेकार्ड में किसी तरह का परिवर्तन ना करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 31.05.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)